

खनन विभाग ने 1100 करोड़ का राजस्व प्राप्त कर बनाया रिकार्ड

फिच्छा (उद. रां.बाददाता)। उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार पर विपक्ष तथा उसके ही अपने लोग अवैध खनन का आरोप लगाते रहे हो लेकिन राजस्व बसूली में उत्तराखण्ड खनन विभाग ने वर्ष 2024-25 में एक नया इतिहास रच दिया है। खनन विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1100 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित कर अवैध खनन का आरोप लगाने वाले लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो कि वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 875 करोड़ रुपये के लक्ष्य से कहीं अधिक है। यह अभूतपूर्व सफलता उत्तराखण्ड के ध.कड़. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व कौशल और खनन निदेशक राजपाल लेप्हा की दूरदर्शी नीति, काम में पारदर्शिता, और अवैध खनन पर प्रभावी तरीके से रोक लगाए जाने की महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका को दिया जा सकता है।

उत्तराखण्ड सरकार ने राजपाल लेप्हा के खनन क्षेत्र में किए गए उनके नीतिगत निर्णयों, कार्यों और अनुभव को देखते हुए एक जुलाई 2024 को उत्तराखण्ड के खनन निदेशक का पदभार दिया था। जबकि इससे पूर्व उत्तराखण्ड खनन विभाग के निदेशक एस.एल. पैट्टिक के शिवादी को देखते हुए सरकार ने उनके निलंबन के बाद एक मई 2024 को राजपाल लेप्हा को प्रभारी निदेशक नियुक्त किया था। श्री लेप्हा के कार्यभार ग्रहण करने से पहले उत्तराखण्ड सरकार को खनन से वार्षिक 500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। खनन निदेशक का कार्यभार संभालते ही लेप्हा ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसका उद्देश्य राज्य में खनन नीति में व्याप्त कई कमियों को दूर करते हुए राज्य हित में कठोर निर्णय लेकर खनन को उचित दिशा में ले जाना था। मुख्यमंत्री के उचित दिशा निर्देश तथा

"हमारा उद्देश्य सिर्फ सरकार के लिए अधिक राजस्व अर्जित करना नहीं है, बल्कि हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राज्य में खनन का कार्य पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी तथा एकता के रूप से सुनिश्चित और राज्य के पर्यावरण के अनुकूल हो। उत्तराखण्ड राज्य में अवैध खनन करने वालों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और हम ईमानदार व्यवसायियों को हमेशा प्रोत्साहन देना जारी रखेंगे।"

-राजपाल लेप्हा, निदेशक, खनन विभाग



मार्गदर्शन में खनन विभाग ने विभाग की पारदर्शी नीतियों, ई-नीलामी प्रणाली के सर्व सुलभ, सरलीकरण तथा अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई किए जाने के परिणामस्वरूप 2024-25 में खनन विभाग द्वारा करीब 1100 करोड़ रुपये का रिकार्ड राजस्व प्राप्त किया जा सका। इसके अलावा ईफोसमेंट सेल और जिला

स्तरीय खनन निगरानी इकाइयों के जरिए पिछले कुछ वर्षों में अवैध खनन से 74.22 करोड़ रुपये की बसूली की गई। जबकि खनन विभाग ने इस दौरान 159 उपखनिज पट्टों और 2 सिलिका सैंड पट्टों को ई-निविदा, ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित कर खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता लाई गई। साथ ही 45 माइन चेक पोस्ट्स

राज्य सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति का महत्वपूर्ण जरिया

फिच्छा। उत्तराखण्ड सरकार को पिछले कुछ वर्षों में खनन से वार्षिक प्राप्त होने वाले राजस्व के आंकड़े बताते हैं कि खनन सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति का महत्वपूर्ण जरिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तराखण्ड सरकार को खनन से 397 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 570 करोड़ रुपये का राजस्व उत्तराखण्ड सरकार को खनन विभाग से प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 472.25 करोड़ रुपये का राजस्व उत्तराखण्ड सरकार को खनन विभाग से मिला। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 645.42 करोड़ रुपये का राजस्व उत्तराखण्ड सरकार को खनन विभाग से प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1047 करोड़ रुपये का राजस्व खनन विभाग से उत्तराखण्ड सरकार को मिला है जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन रीडर, नाइट विजन कैमरे और अन्य निगरानी उपकरणों की तैनाती से खनन क्षेत्र और खनन पर पूर्ण निगरानी रखी जा रही है। खनन निदेशक राजपाल लेप्हा के खनन क्षेत्र में लंबे अनुभव और कुशल नेतृत्व में खनन विभाग उत्तराखण्ड राज्य के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत बन चुका

है, और आने वाले समय में उत्तराखण्ड सरकार के वरिष्ठ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और राजपाल लेप्हा के कुशल नेतृत्व में खनन विभाग उत्तराखण्ड राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है और सरकार इससे और भी अधिक राजस्व प्राप्ति की उम्मीदें कर रही है।